कार्यालय : राज्य शैक्षिक, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक : SCERT / शि0शि0सेवापूर्व / 8391-93 / विज्ञप्ति / दो–I(06) / 2021–22, दिनाँक 17 दिसम्बर 2022

द्विवर्षीय डी0एल0एड0 (D.El.Ed) प्रशिक्षण प्रवेश परीक्षा 2020–21 के अन्तर्गत प्रतीक्षा सूची से चयनित अभ्यर्थियों की राज्य स्तरीय काउंसलिंग सम्बन्धी सूचना

उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद रामनगर, नैनीताल की विज्ञप्ति संख्या उ0वि0शि0प0/डी0एल0एड0–2021)/विज्ञप्ति 01/02/2022–23, दिनाँक 06 अप्रैल 2022 द्वारा दिनांक 25 मई 2022 को आयोजित डी0एल0एड0 प्रवेश परीक्षा 2020–21 का परीक्षाफल अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में अंकित की गई सूचनाओं के आधार पर दिनांक 01 अगस्त 2022 को घोषित कर दिया गया है। चयनित अभ्यर्थियों की राज्य स्तरीय काउंसलिंग के उपरान्त रिक्त सीटों को प्रतीक्षा सूची से भरने हेतु प्रतीक्षा सूची से चयनित अभ्यर्थियों की राज्य स्तरीय काउंसलिंग दिनांक 22 एवं 23 दिसम्बर 2022 को राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून के सभागार में निर्धारित की जाती है। अपरिहार्य परिस्थितियों में उक्त तिथि में काउंसलिंग में अनुपस्थित अभ्यर्थियों को दिनांक 26 दिसम्बर 2022 को काउंसलिंग में सम्मिलित होने का एक अन्तिम अवसर प्रदान किया जाता है, अन्यथा की स्थिति में आपका डी.एल.एड़ का अभ्यर्थन स्वतः ही निरस्त माना जायेगा। प्रतीक्षा सूची एवं काउंसलिंग हेतु विस्तृत दिशा निर्देश SCERT की वेबसाइट https://scertuk.gov.in एवं उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्, रामनगर, नैनीताल की वेबसाइट www.ubse.uk.gov.in तथा प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून की वेबसाइट www.schooleducation.uk.gov.in पर उपलब्ध है।

अतः सम्बन्धित अभ्यर्थी निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार समस्त वांछनीय प्रमााण पत्रों के साथ स्वयं काउंसलिंग में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

अपर निदेशक
एस.सी.ई.आर.टी., उत्तराखण्ड
देहरादून

पृ0सं0 : SCERT / शि0शि0सेवापूर्व / 8391-93 / विज्ञप्ति / दो–I(06) / 2021–22 तद्दिनांक

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. प्रधान सम्पादक, दैनिक अमर उजाला / दैनिक जागरण / दैनिक हिन्दुस्तान को इस निर्देश के साथ कि कृपया उक्त विज्ञप्ति को 10×7 सेमी0 के साइज में अपने लोकप्रिय समाचार पत्र के उस पृष्ठ पर प्रकाशित करेंगे, जिसका प्रचार–प्रसार पूरे राज्य में है। विज्ञप्ति प्रकाशित होने के बाद, जिला सूचना अधिकारी से राजकीय दरों पर बिल प्रमाणित कर दो प्रतियों में, इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे।
2. मुख्य शिक्षा अधिकारी, समस्त जनपद, उत्तराखण्ड एवं प्राचार्य, समस्त जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, उत्तराखण्ड को इस आशय के साथ प्रेषित कि उपरोक्त विज्ञप्ति के व्यापक प्रचार–प्रसार के दृष्टिगत अपने जनपद की वेबसाइट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।

17/12/2022

अपर निदेशक
एस.सी.ई.आर.टी., उत्तराखण्ड